



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15295

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - सी - 615 वर्ष 2026

रक्षपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: द्विजेंद्र प्रसाद, प्रद्युम्ना कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2-आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा को अपील संख्या 2077/2025 (कंप्यूटर केस संख्या 202501000002077) का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
3. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालाँकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आदेश से असंतुष्टि है, तो आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
4. रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति है और न ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि निचली अदालत को उपरोक्त मामले का समयबद्ध तरीके से निर्णय करने का निर्देश दिया जाए सिवाय इसके कि मुकदमा वर्ष 2025 में दायर किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उपरोक्त के मददेनजर, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, निचली अदालत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त मामले का फैसला कानून के अनुसार ही करे और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन न दे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"